

राज्य सरकार, जिला अधिकारी, हसन, जिला-उन्नत ।
दिनांक 2/10/08

कारा 143 व 010 आदि
मैला-बन्दागापुर व बन्दी
सह-हसन, जिला-उन्नत ।

राज्य मेमोरियल स्वीकृत सोसाइटी का नाम 30 नवंबर

विषय

पुस्तक बांध राज्या मेमोरियल स्वीकृत सोसाइटी, कर्नाटक - भाग

5/11, जिलाधिकारी, कर्नाटक के पुराणा पर दिनांक 22-10-07 के अति
संख्या 143 व 010 आदि, परमाणु शोधक अर्थात् सहायक आयोग
जिला उन्नत को अग्रणीय भूमि घोषित किये जाने की पुराणा की है ।
जिस पर सहायक आयोग हसन में अर्थात् माफो 13 नं में अपनी उन्नत
दिनांक 08-01-2008 द्वारा अग्रणीय भूमि की 3 साता सं- 337
गाटा सं 2044 / 0-240 हे०, 120 क/0-253 हे०, 120 क/0-253 हे०,
12044/0-240 हे० व साता 220 गाटा सं 1205/0-063 हे०,
1207/0-215 हे० मा० नं 25-35 व साता सं 244- गाटा सं 1223 क/
0-076 हे० का 1/2 भाग व साता सं- 138 गाटा सं 1203/0-51 का 1/4 भाग
व साता सं 137 गाटा सं 1227/0-334 हे० का 1/2 भाग 1232/0-139 का
1/2 भाग, 3 साता सं- 75 गाटा सं 12044/0-253 हे०, 1206क/0-184
हे०, मा० नं 05-90 व 3 साता सं 48- गाटा सं 234/0-152 हे०, 237 कि०/
316 हे०, 266/0-038 हे० व साता सं- 228 गाटा सं 228/0-402 हे०,
10-114 हे०, 3 साता सं- 005 गाटा सं 1200क/1007 हे० मा०
13-50, 3 साता सं- 589 गाटा सं 1209 क/0-253 हे० का 1/2 भाग,
साता सं- 2 व गाटा सं 215/0-25 हे० व गाटा सं 1217/0-013 हे०,
1-18/0-063 हे०, 1220/0-519 हे०, 1221/0-152 हे०, 1223क/0-08 हे०
225/0-202 हे० का 1/4 भाग मा० नं 40-55, 3 साता सं 339 गाटा सं
187/0-272 हे०, 3 साता सं 342 गाटा सं 120क/0-0-98 हे० मा०
नं 81 अर्थात् अ-4-66.9 हे०, राज्या मेमोरियल स्वीकृत सोसाइटी द्वारा
जिम्मा हेतु जमीन निर्माण का कार्य चल रहा है । उपरोक्तानुसार यदि उचित समझे तो
अग्रणीय भूमि से अग्रणीय भूमि निर्माण हेतु घोषित किया जा सकता है । जिलाधिकारी को
अति सं- 3 सं- 10-0-08 के आधार पर कारा
143 व 010 आदि के अंतर्गत के अग्रणीय भूमि 3 घोषित किया जा
सकता है ।



अदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर कारा 143 व 010 आदि के अंतर्गत
3 साता सं 337 गाटा सं 2044 / 0-240 हे० 120 क/0-253 हे०
1204क/0-253 हे० 1204 ग/0-240 हे० व साता सं 220 गाटा सं 1205/
0-063 हे०, 1207/0-215 हे० मा० नं 25-35 व साता सं 244- गाटा सं
1223क / 0-076 हे० का 1/2 भाग व साता सं 138 गाटा सं 1203/0-051 का



1/4 भाग व सात सें 137 गाटा सें 1 227/0-334 हे 0 वा 1/2 भाग
 12 34/0-139 वा 1/2 भाग 1. 1 साता सें- 75 गाटा सें 1204 म/ 0-253 हे 0, 12 06 1/0-164 हे 0 मा 0 5-90 1/0 व 1 साता सें 48- गाटा
 सें 234/0- 152 हे 0 237 मि/ 0-316 हे 0, 266/0-038 हे 0 व साता सें
 - 228 गाटा सें 228/0-202 हे 0, 340/0- 114 हे 0, 1 साता सें 005 गाटा
 सें 1200 1/0-1007 हे 0 मा 0 13-50 1/0, 1 साता सें 509 गाटा सें 12 09 म/
 0-253 हे 0 वा 1/2 भाग साता सें- 217 गाटा सें 15/0-2 15 हे 0 व गाटा
 सें 12 7/0-0 13 हे 0, 12 18/0-06 1/0 1 220/0-5 19 हे 0, 12 10- 62 हे 0,
 1-223 8/ 0-009 हे 0, 1 225/0-202 हे 0 वा 1/4 भाग मा 0 40-55 1/0
 1 साता सें 339 गाटा सें 1197/0-272 हे 0, 1 साता सें 344 गाटा सें
 12 00 म/ 0-098 हे 0 मा 0 0 1/0 4- 466-9 1 हे 0 1 सिधा गुम
 बंध गापुर व बंधोली परगाहा श्लोक समेत तहसील हसनगंज जिला - उन्नाव
 को आवसीय अर्थिक भूमि घोषित किया जाता है । इस जादेश की प्रति
 उपनिबन्धक को प्रेषित हो वगैरे ।



दिनांक : जनवरी- 11 2008

Handwritten signature
 उप जिलाधिकारी
 हसनगंज, जिला- उन्नाव ।

तैयार कर्ता
 मिलान कर्ता

प्रथम प का क्रम संख्या
 प्रथम पत्र देने का दिनांक
 प्रथम पत्र देने वाले का नाम
 मकान नंबर का दिनांक
 मकान देने का दिनांक
 12-50



12.50

सत्य-प्रतिलिपि
Handwritten signature
 वाचक
 जय जिलाधिकारी, हसनगंज, उन्नाव

23
 3-12-08
Handwritten notes and numbers

प्रतिलिपि
 दिनांक 30/12/08
 वाचक
 श्री, हसनगंज, उन्नाव

न्यायालय उप जिलाधिकारी, हसनगंज, जिला-उन्नाव ।

कार संख्या 84/08-09

धारा 143 कां०/03अधि०

शोषा- जमदीगपुर

08-हसनगंज, जिला-उन्नाव ।

रामनेमोरियाल सूफेगान ओसावटी

बनाम

30 ग़ु सरदार

भवन निर्माण



उक्त धारा 143 के अन्तर्गत रामनेमोरियाल सूफेगान ओसावटी, नवगाँव भवन
 99, शोषा काँवला, जमदीगपुर के निर्माण पर दिनांक 26-12-08 के दृष्टि
 से ग्राम जमदीगपुर परगना इलाक़े अन्तर्गत तहसील हसनगंज जिला-
 उन्नाव की अधीनस्थ भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है।
 इस पर तहसीलदार हसनगंज ने आज्ञा मांगी गई । उन्होंने अपनी आज्ञा
 दिनांक 30-12-2008 द्वारा अद्यतन कराया है कि ज़ात सं०-537 गाटा सं०-
 1209/0-215 हे०, ज़ात सं०-187 गाटा सं०-1208/0-304 हे०, ज़ात सं०-
 187 गाटा सं०-1210 क/0-278 हे०, गाटा सं०-4-50 कुल रकबा 0-797 हे० राम
 नेमोरियाल सूफेगान ओसावटी द्वारा शोषाणिक कार्य हेतु भवन निर्माण निर्माणा
 हो रहा है । उक्त के अनुसार दृष्टि भूमि में भू प्रयोग शिक्षा हेतु घोषित किया
 जा सकता है। जिला न्यायधीय अधिकारता रेवेन्यू में अपनी आज्ञा दिनांक-
 30-12-08 के आधार पर धारा 143 कां०/03अधि० के अन्तर्गत उचित घोषित
 किया जा सकता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर धारा 143 कां०/03अधि० के अन्तर्गत
 ज़ात सं०-537 गाटा सं०-1209 क/0-215 हे०, ज़ात सं०- 187 गाटा सं०-
 1208/0-304 हे०, ज़ात सं०-187 गाटा सं०-1210 क/0-278 हे०, गाटा सं०-
 4-50 कुल रकबा 0-797 हे०, स्थित ग्राम जमदीगपुर परगना इलाक़े अन्तर्गत
 तहसील हसनगंज जिला उन्नाव की शिक्षण संस्था हेतु उचित भूमि घोषित
 किया जाता है। इस आदेश की प्रती उक्त निबन्धन की प्रती की जाय।

दिनांक 30-12-08

[Signature]
 उप जिलाधिकारी
 हसनगंज, जिला-उन्नाव ।

सैयार कर्ता &
 मिलान कर्ता

प्रत्येक का का रकम संख्या 37
 प्रत्येक पर देने का दिनांक 30-12-08
 प्रत्येक पर देने वाले का नाम अमराज
 प्रत्येक टिकट का दिनांक 30-12-08
 प्रत्येक देने का दिनांक 30-12-08
 राशि 12.50

सत्य-प्रतिलिपि

[Signature]
 30/12/08
 धारक

उप जिलाधिकारी, हसनगंज, उन्नाव



5

न्यायालय उप विभागीयारी, बसन्त, जिला-उन्नाव ।

कासंख्या 57/08-09

धारा 143(1)(b) अधिनियम

बीजा-बगदीरापुर

बसन्त-बसन्त, जिला-उन्नाव

रामा मेनोरीयल स्मृतिदान शोधालय

बसन्त 3090 बरवार



उपरोक्त निर्णय

प्रस्तुत कासंख्या रामा मेनोरीयल स्मृतिदान शोधालय, नवगील भवन 15/98, विन्डिल हाइन्स, बानपुर के प्राथमिक दिनांक 10-9-08 के दृष्टि स्थित ग्राम बगदीरापुर परगना इलाके अन्तर्गत अन्तर्गत जिला उन्नाव की आवासीय भूमि घोषित करे जानेकी प्रार्थना की गयी है। जिस पर तहसीलदार बसन्त के आदेश मंजुरी मानी है। उन्न्तर्गत अनन्तर्गत दिनांक 21-10-08 द्वारा अन्तर्गत बरवार के नि. क्रमांक 00230 गट्टा 50-1222 4 / 10-177 हे०, क्रमांक 50-491 गट्टा 50-1219/0-379 हे० गट्टा 50-3-75 क्रमांक 50-138 गट्टा 50-1203 क्रमांक 50/0-0127 हे० गट्टा 50-2-00 क्रमांक 50-589 गट्टा 50-1209 5/0-126 हे० गट्टा 50-2-00 क्रमांक 0-6947 हे० रामा मेनोरीयल स्मृतिदान शोधालय द्वारा घोषणा किये गये भूमि निर्माण निमित्त हो रहा है। उपरोक्त गट्टा भूमि के पु. प्रमाण विरुद्ध के घोषित किया जा सकता है। जिला न्यायाधीश आध्यात्म विवेकानंद के अन्तर्गत दिनांक 21-10-08 के आदेश पर धारा 143 (1)(b) अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम घोषित किया जा सकता है।

आदेश

उपरोक्त विवेकानंद के आदेश पर धारा 143 (1)(b) अधिनियम के अन्तर्गत क्रमांक 50-00230 गट्टा 50-1222/0-177 हे०, क्रमांक 50-491 गट्टा 50-1219/0-379 हे०, गट्टा 50-3-75 क्रमांक 50-138 गट्टा 50-1203 क्रमांक 50/0-127 हे० गट्टा 50-2-00 क्रमांक 50-589 गट्टा 50-1209 5/0-126 हे० गट्टा 50-2-00 क्रमांक 0-6947 हे० स्थित ग्राम-बगदीरापुर परगना इलाके अन्तर्गत तहसील बसन्त जिला- उन्नाव को विरुद्ध अधिनियम अधिनियम घोषित किया जा सकता है। इस आदेश की प्रति उपनिबन्ध को प्रेषित की गये।

दिनांक: नवम्बर 6, 2008

नियामक अधिकारी

न्यायाधीश

बसन्त, जिला-उन्नाव ।

अन्तर्गत कासंख्या 30
 अन्तर्गत कासंख्या दिनांक 02-11-08
 अन्तर्गत कासंख्या दिनांक 02/11/08
 अन्तर्गत कासंख्या दिनांक 02/11/08
 अन्तर्गत कासंख्या दिनांक 02/11/08
 अन्तर्गत कासंख्या दिनांक 02/11/08

सत्य-प्रतिलिपि

न्यायाधीश

उप विभागीयारी, बसन्त, जिला-उन्नाव

